[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 9 / 2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख **23** जनवरी, **2018**

सा.का.नि.......(अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 606 (अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 4/2017 केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल और इलेक्ट्रोनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवाकर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण.-

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है;

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है; और

2. यह अधिसचूना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त मानी जायेगी।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 606(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्या 4/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून 2017 को प्रकाशित की गई थी ।